संख्याः 670/XVII(4)/2012/70/04

प्रेषक,

डा.हेमलता ढ़ौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2012

विषयः विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से आपूर्त अनुपूरक पोषाहार के लंबित ढुलान बिलों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2549–50 / डब्लू0एफ0पी0–एम0ओ0यू0–1848–बी0 / 2011–12, दिनांक 31.01.2012 जो वर्ष 2007–08 में आपूर्त किये गये अनुपूरक पोषाहार के लंबित ढुलान बिलों के भुगतान के संबंध में है, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के बॉर्डर एरिया से संबंधित जनपदों कमशः उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली में स्थापित बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लिये अनुपूरक पोषाहार के ढुलान भाड़े के लंबित देयकों का भुगतान शासनादेश संख्या– 1667 / XVII(2)/2007, दिनांक 03.12.2007 व शासनादेश संख्या–1069 / XVII(2)/ 2008, दिनांक 19.08.2008 के द्वारा बिलों में किये गये उल्लेखानुसार दरें रू0 1650/-प्रति मी0टन की दर से स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः निदेशक, आई0सी0डी0एस0 से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आधार पर शासन द्वारा कुल रू0 3349324.00 की धनराशि की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 15 के आयोजनागत के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 02–समाज कल्याण, 102–बाल कल्याण, 03–परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था, 0303–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था–31 सामग्री सम्पूर्ति से वहन किया जायेगा।

भवदीया,

(डा.हेमलता ढ़ौंडियाल)
सचिव

संख्याः 670 (1)/XVII(4)/2012/ 70/2004.तददिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव